न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 20/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।
–बनाम–
शिम्भू पुत्र शीशराम, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर 20 सूरजगढ़ थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :– स्वयं

–निर्णय–

दिनांक 18.11.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुझुनू ने दिनांक 06.10.2020 को गैर सायल शिम्भू पुत्र शीशराम, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर 20 सूरजगढ़ थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि शिम्भू पुत्र शीशराम, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर 20 सूरजगढ़ थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का आदतन व्यक्ति है। इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से कस्बा सूरजगढ मे रहकर कस्बे के लोगो को भयभीत एवं आंतकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है जो जुआ सट्टा करने का आदि है जिससे युवा पीढी मे जुआ सट्टा की लत होने का भय है। आम नागरिक इसके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज नही कराते है तथा ना ही कोई इसके विरूद्व कोई गवाही देने को तैयार होता है। गैरसायल का कस्बा सूरजगढ मे भय व्याप्त है। गैरसायल अभी भी जुआ व सट्टा का आदि होकर अपराध करता है इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी एवं समाज पर विपरीत प्रभाव पड रहा है उक्त सख्स द्वारा किये गये अपराधों मे माननीय न्यायालय द्वारा सजा किये गये अपराधों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. अभियोग संख्या 62/15 दिनांक 19.03.2015 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 25/15 दिनांक 28.03.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 291/17 दिनांक 25.10.2017 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 220/17 दिनांक 28.10.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 06/18 दिनांक 11.01.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 05/18 दिनांक 18.01.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
4. अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 15.05.2018 धारा 13 आरपीजीओ अधि0 थाना सूरजगढ में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 71/18 दिनांक 18.08.2018 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद

District Magistrate
JHUNJHUNU

अतः रिद्विकरण पुत्र भुणनाथ जाति जोगी निवासी वार्ड नम्बर 06 मुकुन्दगढ़ थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त एक माह की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना मुकुन्दगढ़ झुन्झुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा । यह निर्णय दिनांक 18.11.2020 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू

विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः शिम्भू पुत्र शीशराम, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर 20 सूरजगढ़ थाना सूरजगढ जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त एक माह की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना सूरजगढ़ झुन्झुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा । यह निर्णय दिनांक 18.11.2020 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनू
District Magistrate
JHUNJHUNU